न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

दायर दिनांक 03.03.2024

प्रकरण संख्या/53/2024 वाद

उनवान

1. राजकुमार पुत्र रंगलाल जाति ओस्तवाल आयु वयस्क निवासी मंगलवाड जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरिता पत्नी दीपककुमार जाति ओस्तवाल आयु वयस्क निवासी मंगलवाड जिला चित्तौड़गढ़।

1. गुड्डी कंवर पुत्री शम्भुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. दरियाव कंवर पत्नी शम्भुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामसिंह पुत्र भूपालसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. विक्रम सिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. हरिसिंह पिता शम्भुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —वादी
अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा —प्रतिवादी सं0 3

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 19.09.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा आली पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के हाल जगाबन्दी दर्ज खाता संख्या 89 के आराजी संख्या 29, 30, 31 कुल किता 03 कुल रकबा 0.73 हैक्ट0 स्थित है। वादीगण मौके पर जुज कब्जे अनुसार अन्दाज आसरे से काबिज काश्त है।

यह कि उक्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच कानूनी बंटवाडा नहीं है मौके पर अंदाज आसरे से अलग अलग हिस्सा कब्जा वादीगण जुज है जिसके बटवाडा करा मौका कब्जे अनुसार जुज हिस्सा रखने व सीमाबन्दी तय करने, तारबन्दी करने, लोन लेने, वृक्ष लगाने, भूमि का आबादान करने आदि के लिये बंटवाडे की आवश्यकता है। जिससे वादीगण अपना हिस्सा मौके कब्जे अनुसार जुज रखते हुए बंटवाडे की प्रार्थना करते है बंटवाडा कराकर अलग अपने अपने नाम से खाताबन्दी व लगानबन्दी चाहते है।

यह कि वादीगण ने दिनांक 15.05.2024 को प्रतिवादीगण को आराजीयात का बंटवाडा कराने हेतु कहा तो सहमति से बंटवाडा करने हेतु मना कर दिया जिससे बिनाय दावा की शुरूआत दिनांक 15.05.2024 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि बंटवाडा आराजी की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अगर की जारी फरमावें कि मौजा आली पटवार हल्का उचनारखुर्द की उपरोक्त वर्णित

सहायक कलेक्टर अधिकारी

आराजीयात में वादीगण प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा जुज रखते हुए व प्रत्येक वादी का हिस्सा अलग अलग मौके कब्जे अनुसार बंटवाडा सादर फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा द्वारा पूर्व में अधिकार पत्र मय जवाब दावा प्रस्तुत किया। जो निम्नानुसार है–

1. यह कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में लिखित तथ्य अस्वीकार है। हाल आराजी नं0 29, 30, 31 कुल किता 03 रकबा 0.73 हैक्ट0 में राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 का 1/24, 2 का 1/24, 3 का 1/6, 4 का 1/24, 5 का 1/24 हिस्सा है लेकिन वादगत आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा नही है वादगत आराजीयात पर कब्जा प्रतिवादीगण का है तथा अभी वर्तमान में 1 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा ज्वार की फसल काश्त कर रखी है तथा बकाया भूमि पडत पडी हुई है।
2. यह कि वादपत्र की कॉलम संख्या 2 में लिखित तथ्य अस्वीकार है। वादगत आराजीयात का कानुनी रूप से बटवाडा कराने का वादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है क्योकि वादगत आराजीयात पर वादीगण का कोई कब्जा नही है बल्कि कब्जा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा नहीं है बल्कि कब्जा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा है इसलिए वादगत आराजीयात का बटवाडा कराने का वादीगण का कोई कब्जा नही है।
3. यह कि वादपत्र की कालम संख्या 3 में लिखित तथ्य अस्वीकार है। दिनांक 15.05.2024 को वादीगण के द्वारा आपसी सहमति से बटवाडा कराने हेतु कभी भी नहीं कहा इसलिए वाद हेतुक दिनांक 15.05.2024 को कभी भी पैदा नही हुआ वादीगण के द्वारा काल्पनिक वाद हेतुक पैदा किया है इसलिए प्रथम दृष्टिया ही वादीगण का वादपत्र खारिज होने योग्य है।
4. यह कि वादपत्र की कॉलम संख्या 4, 5, 6 में लिखित तथ्या अस्वीकार है।

अत श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाब दावा स्वीकार फरमाया जावें एवं वादी का वादपत्र हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें।

जिस पर दिनांक 15.01.2025 को प्रथक से तनकी कायम की गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वाद पत्र के कॉलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के संयुक्त खातेदार अपना हक हिस्से का मौके व कब्जे के अनुसार बंटवाडा कराने के अधिकारी है?

–जिम्मेवादीगण

2. आया वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादीगण का कब्जा ना होकर कब्जा प्रतिवादीगण का है?

–जिम्मेप्रतिवादीगण

3. दादरसी

साक्ष्यवादी में वादी सरिता पत्नी दीपक कुमार जाति ओस्तवाल निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। शपथग्रहिता वादी ने वाद पत्र के समर्थन एवं पुष्टि में जमाबन्दी की प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 है। जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा पूर्ण की गयी।

साक्ष्यप्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 3 रामसिंह पिता भूपालसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 विक्रमसिंह पिता शम्भुसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत। वकील प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। जिरह वकील वादी द्वारा पूर्ण की गयी।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 02.04.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गयी। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्ढा का अधिकार पत्र मय मौका रिपोर्ट पर एतराज बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि बटवाडा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला-चित्तौड़गढ़

रिपोर्ट में नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। साथ ही निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये–

1. 2022(1) RRT 61– राधेश्याम व अन्य बनाम गुड्डी व अन्य
2. 2022(2) RRT 975– मथराराम/मिश्राराम बनाम देवाराम व अन्य

व अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः नवीन बटवाडा रिपोर्ट मंगवायी जावें। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट में नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई है। पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये गये है। साथ ही बटवाडा रिपोर्ट स्वयं तहसीलदार कपासन द्वारा मौके पर जाकर बनाई गई है। और रास्ते का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा अपना हिस्सा अलग किये जाने का जवाब में किसी प्रकार का निवेदन नहीं किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व बटवाडा रिपोर्ट का अवलोकन किया। बटवाडा रिपोर्ट के अवलोकन से नियम 18 से 21 की पालना पूर्ण की गई है स्पष्ट प्रतीत होता है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण में लागू नही होते है। अतः मौका रिपोर्ट पर एतराज बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादी का वादपत्र अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 19.09.2025 को अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा आली पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी के हाल जगाबन्दी दर्ज खाता संख्या 89 के आराजी संख्या 29, 30, 31 कुल किता 03 कुल रकबा 0.73 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. सरिता पत्नी दीपक कुमार हिस्सा 1/2 जाति ओस्तवाल सा0 मंगलवाड़ खातेदार, राजकुमार पुत्र रंगलाल हिस्सा 1/2 जाति ओस्तवाल सा0 मंगलवाड़ खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	29/2	0.09	बी 1
2	30/2	0.13	बी 1
3	31	0.26	बी 1
योग	कुल किता–03	0.48	

2. गुड्डी कंवर पुत्री शम्भुसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा0 उचनारखुर्द खातेदार, दरियाव कंवर पत्नी शम्भुसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा0 उचनारखुर्द खातेदार, विक्रमसिंह पुत्र शम्भुसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा0 उचनारखुर्द खातेदार, हरिसिंह पुत्र शम्भुसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा0 उचनारखुर्द खातेदार, रामसिंह पुत्र भूपालसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 उचनारखुर्द खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	29/1	0.03	बी 1
2	30/1	0.22	बी 1
योग	कुल किता–02	0.25	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सवालका)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी कपासन
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़